कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/निजी/36(12)/2019 दिनांकः31.12.2019

प्रेस नोट

बीकानेर, 31 दिसम्बर, 2019(वि.), गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कार्यालय स्तर पर लम्बित/प्रक्रियाधीन मान्यता/क्रमोन्नति प्रकरणों के संबंध में दिनांक 08.01.2020 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में स्थित "**शिविरा प्रकाशन भवन**" में निर्देशानुसार समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जायेगा। उक्त शिविर में सत्र 2019–20 में मान्यता/क्रमोन्नति के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है, जिसमें लम्बित/प्रक्रियाधीन प्रकरणों के सम्बन्ध में अग्रांकित विवरणानुसार अवगति/अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगीः–

1. मान्यता/क्रमोन्नति के संबंध में आवेदन के संबंध में वर्तमान/अद्यतन स्थिति।
2. निरस्त किये जा चुके आवेदनों के सम्बन्ध में पुनर्निरीक्षण (Repanel) की इच्छुक संस्थाए, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम राशि रूपये 10000/–(अखरे रूपये दस हजार) का डिमाण्ड ड्रफ्ट, प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत कर सकेगें।
3. मान्यता/क्रमोन्नति के संबंध में आगामी करणीय कार्यवाही बाबत जांनकारी।

ध्यातव्यः–वर्तमान में मान्यता/क्रमोन्नति सम्बन्धी लम्बित/प्रक्रियाधीन आवेदनों (सत्र 2019–20 के लिए) के आगामी 31 जनवरी, 2020 से पूर्व निस्तारण हेतु मान्यता पोर्टल खुला हुआ है।

31.12.19
(डा0 रोहताश कुमार)
स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

श्रीमान सम्पादक महोदय/संवादतदाता को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में राज्य के समस्त संस्करणों में जनहित में सादर प्रकाशनार्थ

31.12.19
स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय – निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रेस नोट

बीकानेर, 24 दिसम्बर (वि.), गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा सत्रः 2019–20 में मान्यता/क्रमोन्नति हेतु आवेदनों के लम्बित प्रकरणों के लिए राज्य सरकार द्वारा राहत प्रदान करते हुए दिनांक 31.01.2020 तक प्राईवेट स्कूल पोर्टल को खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशालय स्तर पर पोर्टल खोले जाने के उपरान्त करणीय कार्यवाही बाबत् टाईम फ्रेम का निर्धारण कर समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को संलग्न टाईम फ्रेम के अनुरूप लम्बित मान्यता/क्रमोन्नति प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किए गये हैं।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के सत्रः 2019–20 में मान्यता/क्रमोन्नति संबंधी लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु टाईम फ्रेम

क.सं.	गतिविधि/करणीय कार्यवाही	टाइम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
1.	आवेदन पत्रों के 1.सत्यापन दलों का गठन 2.संस्थाओं का भौतिक सत्यापन एवं 3.अपलोड करना	26 दिसम्बर 2019 से 24 जनवरी 2020	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
2.	पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन शुल्क रूपये 10,000/– सहित परिवेदना निदेशक को प्रस्तुत करना (शुल्क का ड्राफ्ट संबंधित निदेशक प्राशि./माशि. के नाम)	26 दिसम्बर 2019 से 20 जनवरी 2020	संबंधित संस्था, निदेशालय एवं स्कूल शिक्षा ग्रुप–5 विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3.	मान्यताओं का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना	26 दिसम्बर 2019 से 28 जनवरी 2020	जिशिअ. माशि. मुख्यालय एवं निदेशालय माशि. राज. बीकानेर/स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग
4.	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डीडी. व फिक्सड् डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना	26 दिसम्बर 2019 से 30 जनवरी 2020	कार्यालय जिशिअ. प्राशि/ माशि. मुख्यालय
5.	मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना	26 दिसम्बर 2019 से 30 जनवरी 2020	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
6.	मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना।	26 दिसम्बर 2019 से 30 जनवरी 2020	संबंधित जिशिअ. कार्यालय

सम्पादक महोदय :– राज्य के समस्त संस्करणों में जनहित में सादर प्रकाशनार्थ।

(डॉ. रोहताश कुमार) 24.12.19
स्टाफ ऑफिसर